न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/344/जयपुर .

गंगाराम उर्फ गंगू पुत्र गणेश जाति माली निवासी वार्ड नंबर 24, रिंगस रोड, चौमू, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गुलाम मोहम्मद पुत्र जंग बहादुर जाति मुसलमान निवासी पठानों का मौहल्ला, चौमू जिला जयपुर।

2– शब्बीर मोहम्मद पुत्र जंग बहादुर जाति मुसलमान निवासी पठानों का मौहल्ला, चौमू जिला जयपुर।

3– राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य

उपस्थितिः

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।

प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांकः– 17/7/2025.

1– हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 89/2003, बउनवान गंगाराम बनाम गुलाब मौहम्मद वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर पुराना 1639 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये नम्बर 2946, 2947, 2948, 2949 व 2909 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम चौमू में स्थित है जिसका वादी कब्जेदार काश्तकार है। वादी

करीब 50–55 वर्षो से उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा सरकार को लगान अदा किया है। इस भूमि की खातेदारी गलती से जंग बहादुर व बहलोल खां के नाम से चली आ रही है। बहलोल खां लाऔलाद फोत हो गया। जंगबहादुर के करीब 15 वर्ष पहले फोत होने पर गुलाब मो0हम्मद व शब्बीर मोहम्मद की खातेदारी दर्ज हुई, शब्बीर भी लाऔलाद फोत हो गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादी नंबर–1 गुलाब मोहम्मद ही वारिस रहा, जो जीवित है। प्रतिवादी सं0–1 वादी को राजस्व रिकार्ड को सही करने का आश्वासन देता रहा किन्तु अन्त में मना कर दिया एवं धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड को सही नहीं करांऊगा तथा इसे बेचूंगा, तब वाद पेश करना पड़ा है। वादी को पूर्ण अधिकार है कि उक्त विवादित भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाये तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करते हुए अपने नाम का इन्द्राज करवाये। अतएव प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

प्रतिवादी ने वादपत्र के कथनों से इन्कार किया तथा काउंटर क्लेम पेश किया कि वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई सरोकार नहीं है। विवादित भूमि मिन प्रतिवादी व शब्बीर मोहम्मद की है, शब्बीर मोहम्मद जिन्दा है। मिन प्रतिवादी स्व0 बहलोल खां का दत्तक पुत्र है व जंग बहादुर सगे पिता थे, जिनके दो लड़के मिन प्रतिवादी व शब्बीर मोहम्मद है। जंग बहादुर के हिस्से का खातेदार काश्तकार वर्तमान में एकमात्र रूप से शब्बीर मोहम्मद है व आधे हिस्से की भूमि बहलोल खां प्रतिवादी सं0 –1 की है। प्रतिवादी ने कभी वादी को कोई आश्वासन नहीं दिया एवं ना ही दिनांक 31–08–1993 को कोई वार्तालाप हुई। इसके विपरीत वादी प्रतिवादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है, इस कारण काउण्टर क्लेम पेश कर वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह विवादित आराजी में प्रवेश न करें, ना ही प्रतिवादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न करें।

योग्य विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 04 विवाद्यक विरचित किये गये, जिन पर वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश होने के उपरांत उभय पक्षों की बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2003 को वादी का वादपत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष

प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–01–2005 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी।

यह कि उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व डिक्रीयों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित होने पर पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि बलोल खां ठिकाना चौमू में नौकर था, इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी पर बलोल खां व जंगबहादुर का नाम दर्ज हो गया। बलोल खां जो लाऔलाद फौत हुआ, उसकी मृत्यु के बाद विवादित भूमि जंग बहादुर के नाम दर्ज की गई तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 गुलाब मोहम्मद और प्रतिवादी सं0 2 शब्बीर मोहम्मद के नाम दर्ज की गई है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/वादी शुरू से काबिज रहा था। उसने उक्त भूमि में एक कुंआ, कमरा एवं कई पेड़ लगाये हैं। विचारण न्यायालय को यह तय करना था कि क्या वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पहले से काबिज था। वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष गिरदावरी संवत 2011–2014 पेश की थी, जिससे यह स्पष्ट था कि वादी वादग्रस्त आराजी पर उस समय काबिज था। प्रतिवादी ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की, वह प्रस्तुत दस्तावेज से समर्थित नहीं थी इसलिए उनके द्वारा मौखिक साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कराई गई। वादी पिछले 58 से 63 वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर काबिज था, इसलिए उसे खातेदार घोषित कराये जाने का अधिकार था। प्रतिवादी अपने प्रतिदावे को सिद्ध नहीं कर सका है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिदावा खारिज किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपीलीय न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर विवेचना करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय संक्षिप्त रूप से पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज करते हुए अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री किया जाये।

5– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के यथोचित निस्तारण हेतु हमारे समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

''आया योग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2003 पारित करने में एवं योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04–01–2005 से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2003 की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि कारित की है ?''

6– उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वादी द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसे योग्य विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28–03–2003 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 28–03–2003 के अवलोकन से प्रकट होता है विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र के अभिवचनों के संबंध में विवाद्यक संख्या–1 विरचित किया गया तथा अपीलार्थी वादी द्वारा उक्त महत्वपूर्ण विवाद्यक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह गंगू उर्फ गंगाराम, सेडूराम, नाथूराम शिवकरण, जवाहर के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी संवत् 2039–42, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी संवत् 2014, प्रदर्श–3 लगायत प्रदर्श–9 लगान रसीदें, प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत् 2057–60 एवं प्रदर्श–11 मिलान क्षेत्रफल पेश कर प्रदर्शित करवाये गये, जिनके समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि भू–प्रबंध से पूर्व एवं उसके पश्चात् कभी भी अपीलार्थी वादी अथवा इनके पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही है। हालांकि अपीलार्थी वादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रतिवादीगण ने जागीरदार के नौकरी कर ली थी, जिसके कारण उसने जमीन अपने नाम करा ली, किन्तु उक्त तथ्य को अपीलार्थी वादी ने पर्याप्त साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया है एवं ना ही जमाबंदी संवत् 2012 की प्रति पेश की है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय विवादित भूमि पर बतौर कृषक काबिज रहा हो। केवल मात्र मौखिक

साक्ष्यों के द्वारा कब्जे की पुष्टि किये जाने से कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है एवं ना ही खसरा गिरदावरी में दर्ज इन्द्राजात के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। इसके विपरीत पत्रावली पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी लम्बे समय से रेकार्डेड खातेदार है। हमारे विनम्र मत में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी वादी द्वारा अपने वादपत्र की पुष्टि स्वरूप कोई सुदृढ़ साक्ष्य पेश नहीं करने के फलस्वरूप अपीलार्थी वादी का वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है, जिसके आधार पर उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतएव हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

7– परिणामतः हस्तगत अपील अंतर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष